न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 45/2022 बउनवानी बजरंग लाल शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार वजीरपुर
पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा निवासी, उदेई खुर्द,

GCMS No-2022/86

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
26.5.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.4..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. ग्राम उदेई खुर्द पटवार मण्डल उदेई खुर्द अ की जमाबन्दी खाता संख्या 402 सम्वत् 2076–79 के कुल किता 35 खसरा नम्बरान पर स्थगन ए.सी.एम. कोर्ट का नोट लगा हुआ है जो किस दिनांक को किसके आवेदन पर किस आदेश की पालना में लगाया है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
2. उपजिला कलेक्टर न्यायालय वजीरपुर के सृजन के बाद क्या न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी को तहसील वजीरपुर क्षेत्र के राजस्व वादों का श्रवण क्षेत्राधिकार रहा है यदि रहा तो किस दिनांक तक रहा अधिसूचना की छायाप्रति प्रमाणित कर उपलब्ध करावें
3. क्या तहसीलदार भू.अ. वजीरपुर को जमाबन्दी के किसी खाते मे बिना किसी आदेश के स्थगन का नोट लगाने का स्वमोटो अधिकार है यदि है तो अधिनियम नियम की प्र.प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/368–69 दिनांक 12.5.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना (खाता संख्या 402 की जमाबन्दी मे लगाये गये स्थगन नोट बाबत कोई साक्ष्य पटवार रिकार्ड मे उपलब्ध नही है।) के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे उपलब्ध नही है किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे वाके ग्राम उदेई खुर्द के खाता संख्या 402 की जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 मे अंकित स्थगन के नोट के संबंध में सूचना चाही गयी है किन्तु पटवारी रिकार्ड में उक्त स्थगन से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण सूचना की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती है किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है जिसके आधार पर अपीलान्ट वांछित सूचना की प्रमाणित प्रति उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के न्यायालय से प्राप्त कर सकता है। इस निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:21:58 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर